राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 289/2025

सुनिता **–अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग (ग्रुप–I), राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), पाली, जिला पाली।
4. चतर लाल मीणा पटवारी पटवार मंडल चौकड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री तंवर सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो पटवारी के पद पर पटवार मण्डल खारडी में कार्यरत है का स्थानांतरण रिसोर्स परसन तहसील मारवाड़ जंक्शन में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को

पदस्थापित किया गया है, अपीलार्थी का स्थानांतरण केवल मात्र निजी प्रत्यथी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)